HIN3B14b_cours-09-2013-04-09

ब्राह्मी लिपि

ब्राह्मी लिपि का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं।

ब्राह्मी लिपि भारत में ही बनायी गयी

(1) ब्राह्मी लिपि द्रविड़ों ने बनायी

कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्राह्मी भारत की ही लिपि है जिसका जन्म द्रविड़ इलाके में हुआ। एडवर्ड टॉमस तथा कई अन्य विद्वानों मानते हैं कि आर्यों के भारत में आने से पहले पूरे भारत में द्रविड़ ही रहते थे जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। लेकिन इस मत का विरोध करने वालों का कहना है कि ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नमूने उत्तर भारत में ही मिलते हैं, दक्षिण में नहीं। अगर द्रविड़ों ने ब्राह्मी लिपि को बनाया तो उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी इसके नमूने मिलते। दूसरा तर्क यह है कि दक्षिण की भाषाओं में सिर्फ पहला और पाँचवाँ वर्ण मिलता है जबकि ब्राह्मी में पाँच वर्ग के पाँचों व्यंजन मिलते हैं।

(2) ब्राह्मी लिपि भारत में आए आर्यों ने बनायी

- कनिंघम, डाउसन, लैसेन आदि विद्वानों के अनुसार वैदिक पुरोहितों ने प्राचीन भारतीय चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि को विकसित किया।
- बूलर ने इस मत की आलोचना की है क्योंकि कोई भी प्राचीन चित्रलिपि ऐसी नहीं मिली है जिससे ब्राह्मी की उत्पत्ति बतायी जा सके।
- लेकिन बूलर की धारणा गलत है क्योंकि सिन्धु घाटी की लिपि चित्रात्मक ही थी।
- इतना होने पर भी ब्राह्मी और सिन्धु घाटी की लिपि में कुछ वर्णों को छोड़कर कोई और समानता स्थापित नहीं की जा सकी है।
- फिर भी डेविड डिरिंगर का कहना है कि ब्राह्मी का जन्म भारत में नहीं हुआ क्योंकि –
  (1) अगर किसी देश में कोई पुरानी लिपि मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि नयी लिपि पुरानी से ही निकली हो। उदाहरण के लिए क्रीय में प्रचलित प्राचीन-ग्रीक लिपि प्राचीन क्रीटीय (मिनोनीय लिपि) से नहीं हुई
  (2) जब तक ब्राह्मी और सिन्धु घाटी की लिपि में संबंध का पूरा पता न चले तब तक यह कहना गलत होगा कि ब्राह्मी सिन्धु घाटी की लिपि से निकली है।
  (3) सिन्धु-घाटी की लिपि अक्षरात्मक और भावात्मक है जबकि ब्राह्मी अर्द्ध वर्णात्मक है।
  (4) वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता नहीं चलता कि उस समय वे लिपि जानते थे।
  (5) केवल बौद्ध साहित्य में ही लिखने की कला का उल्लेख मिलता है।
  (6) ब्राह्मी के जो अभिलेख मिले हैं उससे यह पता चलता है कि 600 ई.पू. ब्राह्मी चलती थी।

ब्राह्मी कहीं बाहर से आयी

(1) ब्राह्मी का ग्रीक संबंध

यूरोप के विद्वान हर चीज की उत्पत्ति के लिए ग्रीस की ओर मुड़ते हैं। ओ. मूलर, जेम्स प्रिंसेप, सेनार्ट, जोसेफ़ हाल्वे ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक लिपि से मानते हैं।

(2) ब्राह्मी सामी (सेमेटिक) लिपियों से निकली है

(क) फोनेशियन – वेबर, बेनफे, जेन्सेन आदि का कहना है कि लगभग एक तिहाई ब्राह्मी वर्णों की समानता फोनेशियन लिपि से है। लेकिन जिस समय ब्राह्मी का जन्म माना जाता है उस समय भारत और फोनेशिया के बीच व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते।

(ख) दक्षिणी सामी लिपि से ब्राह्मी निकली है – टेलर डिके तथा कैनन के अनुसार ब्राह्मी दक्षिणी सामी लिपि से निकली है।

(ग) उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी निकली है – बूलर तथा डिरिंगर के अनुसार ब्राह्मी का जन्म उत्तरी सामी लिपि स हुआ है।

ब्राह्मी लिपि ⇒ देवनागरी लिपि

'नागरी' शब्द कहाँ से आया इस संबंध में लोगों के अलग-अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 'नागरी' शब्द का अर्थ है 'नगर की' या 'नगरों में काम आने वाली'। दूसरे लोगों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण यह नाम पड़ा। लेकिन ये नागर ब्राह्मण गुजरात में कहीं और से आए थे।

'नागरी लिपि' का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में यह लिपि 'ब्राह्मी' कहलाती थी। 'नागरी' जैसा कोई अलग नाम नहीं था। यदि 'नगर' या 'नागर' ब्राह्मणों से 'नागरी' का संबंध मान लिया जाय तो यही कहा जा सकता है कि यह नाम गुजरात में जाकर पड़ गया और कुछ दिनों तक उधर ही चलता रहा।

बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ 'ललितविस्तर' में 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को सिखाई गई। इनमें 'नागरी लिपि' का नाम नहीं है, 'ब्राह्मी लिपि' का नाम है। 'ललितविस्तर' का चीनी भाषा में अनुवाद ई.स. 308 में हुआ था।

जैनों के 'पन्नवणा' सूत्र और 'समवायांग सूत्र' में 18 लिपियों के नाम दिए हैं जिनमें पहला नाम बंभी (ब्राह्मी) है।

नागरी का सबसे पहला उल्लेख जैन धर्मग्रंथ नंदीसूत्र में मिलता है जो जैन विद्वानों के अनुसार 453 ई. के पहले का बना है।

सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है जो सिन्धु नदी के पार के प्रदेशों (गाँधार आदि) को छोड़ भारतवर्ष में सभी जगह लगभग एक ही रूप की मिलती है।

अब तक अशोक के समय से पूर्व के दो छोटे से लेख मिले हैं - (1) इनमें से एक तो नेपाल की तराई में 'पिप्रवा' नामक स्थान में शाक्य जातिवालों के बनवाए हुए एक बौद्ध स्तूप के भीतर रखे हुए

पत्थर के एक छोटे से पात्र पर एक ही पंक्ति में खुदा हुआ है। इस लेख के अक्षरों और अशोक के अक्षरों में कोई खास फर्क नहीं है। (2) दूसरा अजमेर से कुछ दूर बड़ली नामक ग्राम में मिला हैं जो महावीर संवत् 84 (= ई. स. पूर्व 443) के समय का है। यह स्तंभ पर खुदे हुए किसी बड़े लेख का खंड है। उसमें 'वीराब' में जो दीर्घ 'ई' की मात्रा है वह अशोक के लेखों की दीर्घ 'ई' की मात्रा से बिलकुल निराली और पुरानी है।

नागरी का उद्भव और विकास
लगभग ई. 350 के बाद ब्राह्मी की दो शाखाएँ लेखन-शैली के अनुसार मानी गई हैं। विंध्य से उत्तर की शैली उत्तरी तथा दक्षिण की दक्षिणी शैली।

(1) उत्तरी शैली के प्रथम रूप का नाम "गुप्तलिपि" है। गुप्तवंशीय राजाओं के लेखों में इसका प्रचार था। इसका काल ईसवी चौथी पाँचवीं शती है। (2) कुटिल लिपि का विकास "गुप्तलिपि" से हुआ और छठी से नवीं शती तक इसका प्रचलन मिलता है। आकृतिगत कुटिलता के कारण इसे यह नाम दिया गया। इसी लिपि से नागरी का विकास नवीं शती के अंतिम चरण के आसपास माना जाता है।

देवनागरी (या नागरी) से ही "कैथी", "महाजनी", "राजस्थानी", और "गुजराती" आदि लिपियों का विकास हुआ। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से दसवीं शती के आसपास "बँगला" का आविर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद की "नेपाली" तथा वर्तमान "बँगला", "मैथिली", एवं "उड़िया", लिपियाँ इसी से विकसित हुई। भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भागों में (यानी कश्मीर और पंजाब में) ई. 8वीं शती तक "कुटिललिपि" प्रचलित थी। बाद में ई. 10वीं शताब्दी के आस पास "कुटिल लिपि" से ही "शारद लिपि" का विकास हुआ। वर्तमान कश्मीरी, टाकरी (और गुरुमुखी के अनेक वर्णसंकेत) उसी लिपि के बाद में विकसित हुई हैं।

दक्षिणी शैली की लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिवर्तित रूप से निकली है जो क्षत्रप और आंध्रवंशी राजाओं के समय के लेखों में, तथा उनसे कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है।

इस प्रकार निम्नलिखित बातें सामने आती हैं -
(1) मूल रूप में "देवनागरी" का आदिस्त्रोत ब्राह्मी लिपि है।
(2) यह ब्राह्मी की उत्तरी शैलीवाली धारा की एक शाखा है।
(3) गुप्त लिपि के उद्भव के पूर्व भी अशोक ब्राह्मी में थोड़ी बहुत अनेक छोटी मोटी भिन्नताएँ कलिंग शैली, हाथीगुंफा शैली, शुंगशैली आदि के रूप में मिलती हैं।
(4) गुप्तलिपि की भी पश्चिमी और पूर्वी शैली में स्वरूप अंतर है। पूर्वी शैली के अक्षरों में कोण तथा सिरे पर रेखा दिखाई पड़ने लगती है। इसे सिद्धमात्रिका कहा गया है।
(5) उत्तरी शाखा में गुप्तलिपि के अंनतर कुटिल लिपि आती है। मंदसोर मधुवन, जोधपुर आदि के "कुटिललिपि" कालीन अक्षर "देवनागरी" से काफी मिलते जुलते हैं।
(6) कुटिल लिपि से ही "देवनागरी" से काफी मिलते जुलते हैं।

(7) "देवनागरी" के आद्यरूपों का निरंतर थोड़ा बहुत रूपांतर होता गया जिसके फलस्वरूप आज का रूप सामने आया।

(8) कुछ स्वरध्वनियों के लिए तथा कुछ विदेशी व्यंजनध्वनियों के लिए "देवनागरी" में सुधार अपेक्षित है।

मध्यकाल में देवनागरी

देवनागरी लिपि मुस्लिम शासन के दौरान भी इस्तेमाल होती रही। भारत की प्रचलित सबसे पुरानी लिपि देवनागरी ही रही है। इससे पहले सारनाथ में स्थित अशोक स्तम्भ के धर्मचक्र के निचले हिस्से में देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय वचन 'सत्यमेव जयते' उत्कीर्ण है। इस स्तम्भ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ई. पूर्व में कराया था। मुसलमानों के भारत आगमन के पूर्व से भारत की देशभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी या उसका रूपान्तरित स्वरूप था जिसमें सभी कार्य किए जाते थे।

मुसलमानों के शासनकाल की शुरुआत (सन 1200 ई) से सम्राट अकबर के शासनकाल (1556 ई.-1605ई.) के मध्य तक राजस्व विभाग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचलन था लेकिन उस समय दीवानी और फौजदारी कचहरियों में फारसी भाषा और उसकी लिपि को काम में लाया जाता था। यह मुस्लिम शासकों की मातृभाषा थी।

भारत में इस्लाम के आगमन के बाद संस्कृत का गौरवपूर्ण स्थान फारसी को प्राप्त हो गया। देवनागरी लिपि में लिखी संस्कृत भारतीय शिष्टों की शिष्ट भाषा और धर्मभाषा के रूप में तब दब सी गई। किन्तु मुस्लिम शासक देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर सके। महमूद गजनवी ने अपने राज्य के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा को स्थान दिया था।

औरंगजेब के शासन काल (1658 ई.- 1707 ई.) में अदालती भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ, राजस्व विभाग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि ही प्रचलित रही। फारसी किबाले, पट्टे रेहन्नामे आदि का हिन्दी अनुवाद जरूरी था। यही स्थिति औरंगजेब के बाद के मुसलमान शासकों तथा ब्रिटिश शासन की शुरुआत के समय (23 जून 1757 ई.) बनी रही।

शेरशाह सूरी ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को स्थान दिया था। शुद्धता के लिए उसके फारसी के फरमान फारसी और देवनागरी लिपियों में समान रूप से लिखे जाते थे। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी परिपत्र सम्राट अकबर (शासन काल 1556 ई.- 1605ई.) के दरबार से निर्गत-प्रचारित किये जाते थे, जिनके माध्यम से देश के अधिकारियों, न्यायाधीशों, गुप्तचरों, व्यापारियों, सैनिकों और प्रजाजनों को विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते थे। इस प्रकार के चौदह पत्र राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित हैं। औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राटों के राज्यकार्य से संबंधित देवनागरी लिपि में लिखे गए कई प्रलेख इस अभिलेखागार में हैं - तत्कालीन व्यवस्था-विधि, नीति, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा-पत्र, जागीर, उपाधि, सहायता, दान, क्षमा, कारावास, गुरुगोविंद सिंह, कार्यभार ग्रहण, अनुदान, सम्राट की यात्रा, सम्राट औरंगजेब की मृत्यु-सूचना, युद्ध सेना-प्रयाण, पदाधिकारियों को सम्बोधन, आदेश-अनुदेश, पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-पदस्थानपन आदि हैं।

मुगल बादशाह हिन्दी के विरोधी नहीं बल्कि प्रेमी थे। अकबर (शासन काल 1556 ई.- 1605 ई.) जहांगीर (शासन काल 1605 ई.- 1627 ई.), शाहजहां (शासन काल 1627 ई.-1658 ई.) आदि अनेक मुगल बादशाह हिन्दी के अच्छे कवि थे।

मुगल राजकुमारों को हिन्दी की भी शिक्षा दी जाती थी। शाहजहाँ ने स्वयं दाराशिकोह और शुजा को संकट के क्षणों में हिंदी भाषा और हिन्दी अक्षरों में पत्र लिखा था, जो औरंगजेब के कारण उन तक नहीं पहुँच सका। आलमगीरी शासन में भी हिन्दी को महत्व प्राप्त था। औरंगजेब ने शासन और राज्य-प्रबंध की दृष्टि से हिन्दी-शिक्षा की ओर ध्यान दिया और उसका सुपुत्र आजमशाह हिन्दी का श्रेष्ठ कवि था। मोजमशाह शाहआलम बहादुर शाह जफर (शासन काल 1707 ई. -1712 ई.) का देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी काव्य प्रसिद्ध है। मुगल बादशाहों और मुगल दरबार का हिन्दी कविताओं की प्रथम मुद्रित झांकी 'राग सागरोद्भव संगीत रागकल्पद्रुम' (1842-43ई.), शिवसिंह सरोज आदि में सुरक्षित है।

- सन् 1796 ई. - मुद्राक्षर आधारित देवनागरी लिपि में प्राचीनतम मुद्रण (जॉन गिलक्राइस्ट, हिंदूस्तानी भाषा का व्याकरण, कोलकाता)।
- सन् 1884 - प्रयाग में मालवीयजी की कोशिशों से 'हिन्दी हितकारिणी सभा' की स्थापना की गई।
- सन् 1893 ई. - काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना
- सन् 1894 - मेरठ के पंडित गौरीदत्त ने न्यायालयों में देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए ज्ञापन दिया जो अस्वीकृत हो गया।
- सन् 1897 - नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा गठित समिति ने 60,000 हस्ताक्षरों वाला एक प्रतिवेदन अंग्रेज सरकार को दिया। इसमें विचार व्यक्त किया गया था कि संयुक्त प्रान्त में केवल देवनागरी को ही न्यायालयों की भाषा होने का अधिकार है।
- 20 अगस्त सन् 1896 - राजस्व परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सम्मन आदि की भाषा एवं लिपि हिन्दी होगी लेकिन यह व्यवस्था स्वीकार नहीं हो सकी।
- 15 अगस्त सन् 1900 - शासन ने निर्णय लिया कि उर्दू के अतिरिक्त नागरी लिपि को भी अतिरिक्त भाषा के रूप में काम में लिया जाये।
- 9 सितंबर 1949 - संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गयी।